फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2023 दिनॉकः मार्च 23, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढाना पुलिस द्वारा व्यापारी के साथ लाखों की धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 107 चीनी के कटटे, 6 लाख 60 हजार रूपये, 01 ट्रक 18 टायरा, फर्जी आर0सी0 व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी बुढाना के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बुढाना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.03.2023 को उ0नि0 श्री संजय कुमार मय मय हमराह है0का0 687 सोनू सिरोही, का0 408 अंकित, का0 1136 सैनी कुमार के वास्ते तलाश अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0 111/23 धारा 420,406 भादवि में पंजाब प्रदेश के लुधियाना, अमृतसर, तरन–तारन, फरीदकोट, श्री मुकतसर साहिब, मोगा में तलाश कर रहे थे। तभी वादी जरनैल सिंह सिंधु पुत्र जागीर सिंह निवासी ग्राम अजीतवाल जनपद मोगा, पंजाब द्वारा ट्रक की तलाश की जा रही थी। दिनांक 22.03.2023 को जरनैल सिंह उपरोक्त द्वारा दूरभाष द्वारा पुलिस टीम को सूचना दी गई कि हमारी चीनी गायब करने वाले ट्रक ड्राईवर अपने ट्रक को जगरावां के पास परदेशी होटल के बराबर में ट्रक को खडा करके आने जाने वाले लोगों को सस्ते दामों में चीनी बेच रहे हैं। अगर आप जल्दी मौके पर आ जायें तो पकडे जा सकते हैं। सूचना पाकर पुलिस टीम ग्राम नानकसर थाना जगरांवा सदर लूधियाना से वादी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची। वादी द्वारा आड लेकर इशारा करते हुए बताया गया कि सामने खडा ट्रक व ड्राईवर वहीं हैं, जो चीनी लेकर भागे थे। तब पुलिस टीम द्वारा ट्रक को घेरकर ड्राईवर सीट पर बैठे व कन्डकटर सीट पर बैठे व्यक्तियों को पकडते हुए नाम/पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उन्होने अपने नाम क्रमशः 1. हरमनजोत सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी ग्राम देहरका थाना हठूर, लुधियाना, पंजाब, 2. तरसेम उर्फ सोढी पुत्र मलकीत निवासी ग्राम भारद्वाजियान थाना नूरमहल, जालन्धर, पंजाब बताया।

अभियुक्तगण के कब्जे से 107 कटटे चीनी के। (भसाना मिल), 6 लाख 60 हजार रूपये(चीनी बेचकर अर्जित किए गए), फर्जी आर0सी0 पीबी 03एजे 8470 व 02 स्टीकर फर्जी नम्बर प्लेट, 01 ट्रक 18 टायरा(घटना में प्रयुक्त) की बरामदगी की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 111/23 धारा 420,406 भादवि में धारा 468,411,467 भादवि की बढोत्तरी की गई। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 संजय कुमार द्वारा की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 15.03.2023 को वादी श्री जरनैल सिंह सिंधु निवासी ग्राम अजीवाल मोगा पंजाब द्वारा थाना बुढाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि वादी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। दिनांक 10.03.2023 को 01 व्यक्ति ट्रक नम्बर पीबी 03एजे 8470 की आर0सी0 व अपना डी0एल0 लेकर आया व अपना नाम हरमन जोत सिंह बताया तथा कहा गया कि उसे भाडे की आवश्यकता है। प्रार्थी ने उक्त व्यक्ति पर विश्वास कर भसाना शुगर मिल से मोगा पंजाब के लिए बिल्टी तैयार कर दी गई। उक्त व्यक्ति दिनांक 10.03.2023 को भसाना शुगर मिल से 680 कटटे चीनी लेकर भसाना शुगर मिल, बुढाना से निकल गया। परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा माल को

निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया और मोबाईल नम्बर भी बन्द कर लिया गया। थाना बुढाना पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए जगवारा, पंजाब से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण— प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त हरमनजोत सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी ग्राम देहरका थाना हठूर, लुधियाना, पंजाब द्वारा बताया गया कि मैं और मेरा साथी अभियुक्त तरसेम उर्फ सोढी पुत्र मलकीत निवासी ग्राम भारद्वाजियान थाना नूरमहल, जालन्धर, पंजाब दोनों ड्राईवर हैं। दिनांक 10.03.2023 को यूपी पंजाब रोड कैरियर से हमने फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर पीबी 03एजे 8470 का स्टीकर व आर0सी0 लेकर धोखा देकर चीनी बेचने के इरादे से बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, भसाना से चीनी के 680 कटटे भर लिये थे। जिन्हें हम दोनों सडक किनारे जगह—जगह छिपकर ट्रक खडा करके सस्ते दामों में बेच रहे थे। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता—

1. हरमनजोत सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी ग्राम देहरका थाना हठूर, लुधियाना, पंजाब।
2. तरसेम उर्फ सोढी पुत्र मलकीत निवासी ग्राम भारद्वाजियान थाना नूरमहल, जालन्धर, पंजाब।

बरामदगी का विवरण—

1. 107 कटटे चीनी के। (भसाना मिल)
2. 6 लाख 60 हजार रूपये। (चीनी बेचकर अर्जित किए गए)
3. फर्जी आर0सी0 पीबी 03एजे 8470 व 02 स्टीकर फर्जी नम्बर प्लेट।
4. 01 ट्रक 18 टायरा। (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
2. है0का0 607 सोनू सिरोही थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
3. का0 408 अंकित कुमार थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
4. का0 1136 सैनी कुमार थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

नोट— गिरफ्तारी अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।